पत्रांक–02/विविध (सिरीज)–04/2015 परि0

बिहार सरकार
(परिवहन विभाग)

*****

पत्रांक–02/विविध (सिरीज)–04/2015 पटना, दिनांक–

निबंधित/
ई–मेल

प्रेषक,

अनुपम कुमार, भा0प्र0से0
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी,
बिहार।

विषय :– जिला परिवहन कार्यालयों में निबंधन सीरीज प्रारंभ करने से संबंधित दिशा–निर्देश।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के कतिपय जिला परिवहन कार्यालयों में प्रायः यह देखा जा रहा है कि राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार की अनुमति के बिना ही नयी निबंधन सीरीज पर वाहनों का निबंधन प्रारंभ कर दिया जाता है। यह स्थिति नियमानुकूल नहीं है।

बिहार गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या–316, दिनांक–13.06.2003 में यह स्पष्ट निदेश है कि बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम–40(1) के तहत **"रजिस्ट्रीकर्त्ता पदाधिकारी नये वर्णाक्षर से कोई सीरीज तबतक प्रारंभ नहीं करेगा जबतक कि वह राज्य परिवहन आयुक्त की पूर्व अनुमति लिखित रुप में प्राप्त न कर लें।"** (प्रति संलग्न)

अतः उपर्युक्त के आलोक में राज्य के सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि नयी निबंधन सीरीज के अन्तर्गत वाहनों का निबंधन जिलों में तबतक प्रारंभ नहीं किया जायेगा जबतक कि राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार की लिखित अनुमति प्राप्त न हो जाय। यदि बिना अनुमति के सीरीज प्रारंभ की जाती है तो वैसे जिला परिवहन पदाधिकारियों के विरुद्ध विभाग द्वारा विधि–सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

कृपया उक्त निदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(अनुपम कुमार)
राज्य परिवहन आयुक्त

ज्ञापांक :– 02/विविध (सिरीज)–04/2015 6653 पटना, दिनांक– 27-12-17

प्रतिलिपि :– राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, NIC, बिहार, पटना/ आई0टी0 मैनेजर, कम्प्यूटर कोषांग, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, NIC, Bihar, Patna से अनुरोध है कि अपने स्तर से सभी जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, बिहार को निदेश देना चाहेंगे कि वे राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार एवं आपके अनुमति के बिना नया सिरीज प्रारम्भ न करें।

28/12/17

(अनुपम कुमार)
राज्य परिवहन आयुक्त

दूरभाष सं0 :– 0612–2547448, फैक्स :– 0612–2546212, ई–मेल :– stcbihar@gmail.com